राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./ शिशु स्वास्थ्य पोषण /2017/17378 **भोपाल, दिनांक** 16 **/05/2017**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः आयरन फॉलिक एसिड सीरप के स्थानीय दर अनुबंध की अनुपलब्धता वाले 21 समस्यामूलक जिलों के संबद्धिकरण के संबंध में।

संदर्भः एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. का पत्र क्र. 785/टेक्नी/2017, दिनांक 23/03/2017

****

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया था कि यदि भण्डारगृह आयरन फॉलिक सीरप 50 एम.एल बोतल (7,00,182) का भण्डारण 3 माह से कम है तो भण्डारगृह नियम तथा दवा नीति के नियमों का पालन करते हुये जिला स्तर पर स्थानीय क्रय करने का कष्ट करें।

इस संबंध में जिलों से लगातार संपर्क किया गया परंतु दिनांक 15/05/2017 की स्थिति में 21 जिलों में स्थानीय निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है फलःस्वरूप ई–औषधि पोर्टल के माध्यम से आई.एफ.ए सीरप के क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी है। चूंकि दस्तक अभियान में आई.एफ.ए सीरप की आवश्यकता होगी एवं नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत भी यह औषधि अत्यंत महत्वपूर्ण है **अतः परिशिष्ट–1 में संलग्न तालिकानुसार समस्यामूलक 21 जिलों यथा अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, भिण्ड, श्योपुर, गुना, दतिया, पन्ना, सागर, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, मंदसौर, रतलाम, देवास, नीमच, आगर तथा शहडोल का संबंद्धिकरण यथा संभव परवर्ती जिलों से किया गया है।**

निर्देशित किया जाता है कि :–

- संबंद्ध जिले द्वारा आई.एफ.ए सीरप हेतु स्थानीय अनुबंध दर अनुसार समस्यामूलक लिंक जिले के लिये क्रय आदेश जारी किये जाये।
- क्रय आदेश उपरांत लिंक जिलों के लिये आवश्यक आई.एफ.ए सीरप बोतलों की संख्या को “Transfer in” मद में प्रदर्शित किया जाये।
- इस हेतु स्थानीय दर अनुबंधयुक्त जिलों द्वारा अपने बज़ट का उपयोग किया जाये एवं इसकी प्रतिपूर्ति लिंक जिले से प्राप्त की जाये।
- कुछ जिले यथा खरगौन, मुरैना, शिवपुरी, छतरपुर तथा उज्जैन में आवश्यकता से अधिक आई.एफ.ए सीरप उपलब्ध है जिसका प्राथमिकता के आधार पर लिंक जिले में पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जाये। पुनर्वितरण के पश्चात भी यदि लिंक जिले में दर्शाये तालिकानुसार अधिक आई.एफ.ए सीरप बोतलों की आवश्यकता है तो दर्शाई मात्रानुसार स्थानीय अनुबंध दर पर आई.एफ.ए सीरप का क्रय किया जाये।
- तालिका में दर्शाई आंकलित आवश्यकता 50 एम.एल बोतल अनुसार है, अतः यदि अनुबंध दर 100 एम.एल आई.एफ.ए सीरप की बोतल हेतु उपलब्ध है तो उक्त आवश्यकता की 50 प्रतिशत के मान से क्रय की कार्यवाही की जाये।
- संबंद्ध किये गये समस्यामूलक जिले द्वारा अपने व्यय पर लिंक जिले से सामग्री प्राप्त की जाना होगी। यथासंभव निकटवर्ती जिलों का संबंद्धिकरण किया गया है, केवल रतलाम को राजगढ़ से, धार को सिहोर

से एवं होशंगाबाद को नरसिंहपुर से संबंद्ध किया गया है क्योंकि उक्त जिलों के किसी भी निकटवर्ती जिलें में दर अनुबंध की समय–सीमा में कार्यवाही नहीं की गई है।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 25/05/2017 तक अनिवार्यरूप से पूर्ण करें ताकि दस्तक किट बैग में आइ. एफ.ए सीरप की प्रतिपूर्ति आउटरीच ए.एन.एम. के प्रशिक्षण पूर्व सुनिश्चित की जा सके।

(व्ही. किरण गोपाल)
मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./ शिशु स्वास्थ्य पोषण /2017/17379
भोपाल, दिनांक 16/05/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल., मध्यप्रदेश।
4. संचालक, वित्त, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–1

List of Link Districts for IFA Syrup Procurement

S. No.	Division	Districts with Problem	Est. IFA Syrup need (50 ml bottle)*	Link District with RC	Excess ava. for [illegible]
1					
2	[illegible]	Alirajpur	[illegible]	[illegible]	[illegible]